उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

संख्या-16/2018/1902/60-1-18-1/13(116)/18

लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2018

कार्यालय-आदेश

जनपद देवरिया की स्वैच्छिक संस्था मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान, रेलवे रोड, देवरिया द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से हो रहे कार्यों एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जॉच श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण (अध्यक्ष) एवं श्रीमती अंजु गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक, वूमेन पॉवर लाइन/महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0 (सदस्य) द्वारा की गयी। संक्षेप में जांच रिपोर्ट के तथ्यात्मक बिन्दु निम्नवत है-

दिनांक 05 अगस्त 2018 को मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान, देवरिया संस्था से भागकर महिला थाना पहुंची हुयी एक बालिका की शिकायत के दृष्टिगत जिला प्रशासन व पुलिस बल, देवरिया द्वारा सम्बन्धित संस्था के गृहों में छापेमारी की गयी। छापेमारी के दौरान स्टेशन रोड स्थित बाल गृह (बालिका) से 20 संवासिनियों/बालक एवं रजला स्थित स्वाधार गृह से 03 संवासिनियां/बालक पाये गये, जिनको जिला प्रशासन द्वारा राजकीय बाल गृह (बालक), देवरिया में अस्थायी रुप से आवासित कराया गया।

उपरोक्त जांच हेतु महिला कल्याण विभाग एवं निदेशालय के संबंधित पत्रालेख, जिला देवरिया के प्रोबेशन कार्यालय की पत्रावलियॉ, एस0पी0 एवं जिलाधिकारी, देवरिया के कार्यालय के पत्रालेख, संस्था से बरामद रजिस्टर्स, सी0एम0एस0, देवरिया की मेडिकल टीम द्वारा सम्पन्न संवासिनियों की मेडिकल जांच की रिपोर्ट, बाल कल्याण समिति, देवरिया से प्राप्त बयान एवं कागजात, संवासिनियों के बयान, संबंधित अधिकारियों के बयान तथा जिला प्रशासन द्वारा दर्ज की गयी एफ0आई0आर0 आदि के परीक्षणोपरान्त् समिति द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार की गयी है।

उल्लेखनीय है कि पी.आई.एल. संख्या-11677/2014 हरीश कुमार वर्मा वनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.05.2017 को श्रम विभाग द्वारा संचालित सचल पालना गृह योजना के क्रियान्वयन मे बरती गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच सी.बी.आई. से कराये जाने के आदेश पारित किये गये थे जिसके क्रम में प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या 949/ 60-3-17-65(सा)/16 दिनांक 13 जून 2017 द्वारा सचल पालना गृह योजना के अंतर्गत वित्तीय अनियमितताओं के दृष्टिगत संदिग्ध चिन्हित संस्थाओं को महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित स्वाधार गृह/ आई.सी.पी.एस. आदि योजनाओं में धनराशि आवंटित न करने तथा सी.बी.आई. जांच के परिणाम आने एवं उस संस्था के दोषमुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सिद्ध होने तक विभाग का कार्य न दिये जाने और यदि पूर्व में कार्य दिया गया है तो उनसे तत्काल वापस लिये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये थे। सचल पालना गृह के संचालन में स्वैच्छिक संस्था मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान, देवरिया का नाम भी प्रकाश में आने पर निदेशालय, महिला कल्याण, उ.प्र., लखनऊ के पत्र संख्या-सी-830/म.क.निदे./प्रोबे./2017-18 दिनांक 22 जून 2017 द्वारा मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान द्वारा संचालित बाल गृह (बालिका) से तत्समय निवासरत 14 बालिकाओं को राजकीय बाल गृह (बालिका), बलिया स्थानान्तरित किये जाने तथा निदेशालय पत्र संख्या 186-91/म.क.निदे./अनुदान/2017-18 दिनांक 23 जून 2017 द्वारा उक्त संस्था द्वारा संचालित स्वाधार गृह से तत्समय निवासरत 28 महिलाओ को राजकीय महिला शरणालय, गोरखपुर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। इसी क्रम में निदेशालय पत्र संख्या 1047-51/म.क.निदे./प्रोबे./पालना गृह/ 2017-18 दिनांक 17 जुलाई 2017 द्वारा उपरोक्त संस्था द्वारा संचालित बाल गृह (बालिका), शिशु गृह एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की मान्यता को स्थगित कर दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को निदेशालय पत्र सं0-2047-48/म0क0निदे0/प्रोबे0/कारा/2017-18, दिनांक 06 अक्टूबर 2017 तथा निदेशालय पत्र सं0-55-56/म0क0निदे0/प्रोबे0/कारा/2018-19, दिनांक 20 जुलाई 2018 द्वारा सूचित किया गया।

शासन/निदेशालय द्वारा उपरोक्तानुसार पत्रों के माध्यम से निर्गत आदेशों के बावजूद स्वैच्छिक संस्था मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान, देवरिया द्वारा संचालित संस्थाओं से संवासियों को स्थानान्तरित कराये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी। प्रश्नगत संस्था द्वारा आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण पुनः निदेशक, महिला कल्याण द्वारा अपने पत्र संख्या 735-37/निदे.म.क./अनुदान/स्वाधार/सचल/2017-18 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में संस्था में तत्समय निवासरत 28 संवासिनियों को राजकीय महिला शरणालय, गोरखपुर मे स्थानान्तरित किये जाने व संस्था के विरुद्ध यथा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी, देवरिया को पत्र प्रेषित किया गया तथा दिनांक 28 जून 2018 को निदेशक, महिला कल्याण द्वारा जिलाधिकारी, देवरिया को सम्बोधित अपने पत्र संख्या 36-41/ निदे.म.क/ प्रोबे./सारा/ गो.प्रको./2018-19 द्वारा उक्त संस्था द्वारा संचालित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में तत्समय निवासरत कुल 07 बच्चों को राजकीय बाल गृह (बालिका) बलिया में तथा एशियन सहयोगी संस्थान, गोरखपुर स्थानान्तरित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, इसके बावजूद उपरोक्त संस्थाओं से संवासिनियों को अब तक स्थानान्तरित नहीं कराया गया ।

बाल कल्याण समिति, महराजगंज की निरीक्षण टिप्पणी दिनांक 18.01.2018 में यह दर्शाया गया है कि उक्त संस्था द्वारा वर्ष 2017 में आवासित बालिका प्रीति को उसके माता-पिता को सुपुर्द कर दिया गया जबकि संस्था द्वारा किसी सक्षम अधिकारी का आदेश अथवा प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी प्रकार नवजात बालिका गुड़िया की मृत्यु दिनांक 13.01.2018 को दर्शायी गयी है, जबकि उक्त संस्थान द्वारा बालिका को न तो अग्रिम उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कराया गया न ही समुचित देख-भाल की गयी जबकि शव विच्छेदन परीक्षण तीन दिन बाद दिनांक 16.01.2018 को कराया गया है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, देवरिया द्वारा अपने आवरण पत्र संख्या 578-84 दिनांक 12.07.2018 द्वारा जिलाधिकारी, देवरिया के मौखिक निर्देश पर गठित समिति जिसमें श्री प्रभात कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्री जय प्रकाश तिवारी, संरक्षण अधिकारी, श्री श्रीकांत यादव, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, सदस्य बाल कल्याण समिति, श्रीमती माला मणि, 181 महिला हेल्पलाइन, श्रीमती संध्या सिंह, सुगमकर्ता 181 महिला हेल्पलाइन सम्मिलित थे द्वारा किये गये संस्था के निरीक्षण की रिपोर्ट जिलाधिकारी, देवरिया को प्रेषित की गयी है। प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार संस्था अधीक्षिका व उसके संचालकों का कार्य व्यवहार नितांत स्वैच्छाचारिता पूर्ण व मनमानी परिलक्षित होता है। <u>संस्था के बारे में जिला स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट निम्नवत् है : -</u>

(1) संस्था के अंदर उपस्थित ममता वर्मा, आरक्षी मदनपुर थाना द्वारा बताया गया कि एक बालिका रंजना भारती को मेडिकल परीक्षण के लिये लाया गया है। दूसरी महिला आरक्षी कुशलावती द्वारा बताया गया कि बालिका संगीता को मेडिकल परीक्षण एवं 164 का बयान कराने हेतु लाया गया है, जिसके संबंध में बाल कल्याण समिति द्वारा पूछा गया कि किसके आदेश से बच्चे यहां भेजे जा रहे हैं तो महिला आरक्षी द्वारा बताया गया कि एस.आई. मंगल जी के द्वारा भेजा गया है।

(2) जिला परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा 07 शिशुओं के बारे में पूछे जाने पर जिनके स्थानान्तरण की कार्यवाही के अभाव में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया बाधित हो रही है, अधीक्षिका) कंचनलता त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि सभी 07 शिशु गृह में आवासित हैं जिसके सम्बन्ध में अधीक्षिका द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी वार्ता कारा के उच्चाधिकारियों से होती है, आप भारत सरकार के कारा से पत्राचार कर संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही करें। 23 जून 2017 के बाद से 03 शिशुओं को इण्ट्रा कंट्री एडाप्शन में दिया गया है। जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा यह पूछे जाने पर किसके आदेश पर बच्चे संस्था में रखे जा रहे हैं, तो अधीक्षिका ने कहा कि हमारी संस्था स्वेच्छा पूर्वक कार्य कर रही है और हम संस्था के नियमावली के अनुसार कार्य करते रहेंगे। हमें किसी के आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है और न ही जे.जे. एक्ट तथा महिला कल्याण विभाग की हम मातहत नहीं है। जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा यह कहे जाने पर की आपके द्वारा जे.जे. एक्ट का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बच्चों को रखा जा रहा है जिसपर अधीक्षिका द्वारा यह जवाब दिया गया कि अगर हम गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र है, जो कार्यवाही करनी है कर लें। हमारे यहां जनपद के विभिन्न थानों से बच्चे भेजे जा रहे हैं, हम उन्हे रखते रहेंगे और जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय भी संज्ञानित है।

(3) बाल कल्याण समिति के सदस्य के द्वारा यह पूछे जाने पर कि 23 जून 2017 को आपकी संस्था की मान्यता स्थगित कर दी गयी थी, उस समय संस्था में 05 शिशु निरुद्ध थे, वह 05 शिशु कहां है, और किस स्थिति में है जिस पर अधीक्षिका द्वारा यह बताया गया कि आपको हमसे कोई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रश्न करने का अधिकार नहीं है और न ही आपके आदेश की आवश्यकता है और न ही हम किसी के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

(4) संस्था के सचिव पति श्री मोहन तिवारी ने बताया कि संस्था की अध्यक्ष अभी हाई कोर्ट गयी हैं और उन्होने फोन करके बताया है कि कोई निरीक्षण किसी के द्वारा नहीं किया जायेगा हम लोग कोई पत्रावली जैसे स्टाफ उपस्थिति पंजिका, बच्चों का आवागमन, विजिटर आदि आपको नहीं दिखायेंगे तथा आप लोगों को संस्था में निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमारी संस्था गैर कानूनी कार्य कर रही है, तो आप थाने में एफ.आई.आर. करा दें और संस्था को बंद करा दें। हमारी मर्जी के बगैर आप बच्चों से नहीं मिल सकते न ही संस्था की कोई पत्रावली देख सकते हैं।

(5) उपरोक्त निरीक्षण में यह पाया गया है कि मां विन्ध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान द्वारा संचालित बाल गृह (बालिका), स्टेशन रोड, देवरिया की मान्यता 23 जून 2017 को निदेशक, महिला कल्याण के द्वारा स्थगित कर दी गयी थी और बच्चों को दूसरी संस्था में स्थानांतरित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन संस्था द्वारा बच्चों को अभी तक स्थानान्तरण नहीं कराया गया है, जिससे बाल गृह (शिशु) में आवासित 07 शिशुओं के दत्तक ग्रहण प्रक्रिया बाधित हो रहे है तथा संस्थान द्वारा जे.जे. एक्ट अधिनियम 2015 के विरुद्ध अवैधानिक रुप से संस्था का संचालन जनपद में किया जा रहा है, संस्थान में आवासित बालकों के सर्वोत्तम हित में की भी गतिविधियां यथा शिक्षक प्रशिक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुई साथ ही आवासित संवासियों को पुनर्वासन प्रक्रिया भी बाधित है तथा संस्थान का भवन भी मानक के अनुरुप नहीं है। किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख संरक्षण) अधिनियम 2015 के धारा 65 के प्राविधानानुसार संस्थान द्वारा विशिष्ट दत्तक ग्रहण के विनियमों में यतिक्रम उत्पन्न किया जा रहा है, तो ऐसा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। संस्थान के अधीक्षिका का व्यवहार अशिष्ट है तथा निरीक्षण के दौरान असहयोगात्मक रहा, जो जनपद में बाल संरक्षण के हितों के अनुरुप नहीं है। संस्थान के ऐसे कार्य व व्यवहार से बच्चों के खरीद फरोक्त व दुर्व्यपार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

बाल कल्याण समिति को तत्समय ही सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत करानी चाहिए थी एवं किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गयी।

जांच कमेटी द्वारा जांच में पाये गये तथ्यों के दृष्टिगत सी0डब्ल्यू0सी0, देवरिया के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निम्नवत उल्लेख किया गया है कि ''सी0डब्लू0सी0 देवरिया के बयानों से यह स्पष्ट है कि उन्हें यह पता था कि इस संस्था के द्वारा संचालित गृहों की मान्यता समाप्त हो चुकी है। उनके संज्ञान में यह भी था कि आस-पास के जिलों की सी0डब्लू0सी0, जनपद देवरिया की पुलिस व कोर्ट के आदेशों से बालक/बालिकायें इन गृहों में पिछले एक साल से लगातार लाये जा रहे थे। सी0डब्लू0सी0 ने इन गृहों की कार्यवाही की कोई मानीटरिंग नहीं की और न ही इस संबंध में कोई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रिपोर्ट प्रेषित की, अतः सी0डब्लू0सी0, देवरिया अपने कार्यों के निर्वहन में पूर्णतया असफल रही। ऐसी दशा में सी0डब्लू0सी0 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने की संस्तुति की जाती है। "

जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ''बाल कल्याण समिति, देवरिया का संव्यवहार नितांत लापरवाही पूर्ण व गैर जिम्मेदाराना रहा है । बाल कल्याण समिति किशोर न्याय (बच्चों के देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम द्वारा अधिरोपित अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में पूर्णतया अक्षम रही है। बाल कल्याण समिति द्वारा अपने पद विहित दायित्वों, कर्तव्यों के निर्वहन के स्थान पर केवल खाना पूर्ति की जाती रही है। सी0डब्लू0सी0 द्वारा इस प्रकरण में कुछ पत्र मात्र जारी करके खानापूरी की गयी है। पत्र दिनांक 10.10.2017 के बाद किसी प्रकार का फालोअप एक्शन नहीं किया गया है।"

बाल कल्याण समिति, देवरिया में अध्यक्ष व निम्नलिखित सदस्य कार्यरत हैं, जिनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है-

1-	श्री श्रीकान्त यादव	-	अध्यक्ष
2-	श्री कौशल किशोर	-	सदस्य
3-	श्रीमती कनक लता द्विवेदी	-	सदस्य
4-	श्रीमती रंजना तिवारी	-	सदस्य
5-	श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव	-	सदस्य

जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर सी0डब्ल्यू0सी0, देवरिया के अध्यक्ष व उपरोक्त सभी सदस्यों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-27(7) के उपखण्ड-1 एवं धारा-30(7)(8) में अंकित प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है एवं बाल कल्याण समिति, देवरिया को भंग किया जाता है। जनपद देवरिया में बाल कल्याण समिति से सम्बन्धित कार्य नये बाल कल्याण समिति के चयन होने या अग्रिम आदेशों तक बाल कल्याण समिति, महराजगंज द्वारा सम्पादित किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16/2018/1902(1)/60-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
5. उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
6. जिला परिवीक्षा अधिकारी, देवरिया।
7. संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्य बाल कल्याण समिति, देवरिया।
8. गार्ड फाइल।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।